अति महत्वपूर्ण

संख्या–4587 /नौ–1–11–119रिट /2011

प्रेषक,

दुर्गा शंकर मिश्र
प्रमुख सचिव
उ0प्र0शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

नगर विकास अनुभाग–1 लखनऊः दिनांकः 30 दिसम्बर, 2011

विषयः **स्थानीय नागर निकायों के कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व, अपरिहार्य परिस्थितियों में, निर्वाचन न कराये जाने की स्थिति में निकायों के कार्यों के प्रबंधन हेतु व्यवस्था।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र सं0–4580/9–1–11–119रिट/2011 दिनांक 17.12.11 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें। इस सम्बन्ध में निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0 के पत्र सं0–8/2018/11 दिनांक 20.12.2011 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि नगर पालिका परिषद/नगर पंचायतों जहॉ खातों का संचालन अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षरों से होता है, वहां अध्यक्ष के न रहने पर खातों के संचालन में व्यवहारिक कठिनाई उत्पन्न हो रही है। वर्तमान में निकायों पर प्रभावी यू.पी. म्यूनिसिपल एकाउन्ट्स रूल्स के नियम–5ए के अन्तर्गत खातों का संचालन अध्यक्ष और अधिशासी अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षरों से होता है।

2. इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच, लखनऊ में योजित रिट याचिका सं0 11226/2011 संदीप उर्फ संदीप महरोत्रा व अन्य बनाम उ0प्र0राज्य व अन्य तथा अन्य सहबद्ध रिट याचिकाओं में मा0उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 05.12.2011 को आदेश पारित किया गया। मा0न्यायालय के आदेश के सुसंगत अंश निम्नवत् है :

1. Subject to aforesaid direction and finding, these writ petitions are allowed to the extent above. The impugned amendment under Act No.23 of 2005 is declared ultra vires to the Constitution, illegal, inoperative and void with all consequences. The impugned amendment under Act No.38/2006 under Section 1-A to the extent of interpretation of first meeting is also declared ultra vires, unconstitutional, illegal and void with consequential benefits.

2. A writ in the nature of mandamus is issued directing the State of Uttar Pradesh to complete all necessary formalities by round the clock working within a period of 10 days or maximum by 18.12.2011. Let a notification be issued on or before 19.12.2011 and submit a compliance report to

this Court. The Registry to constitute Bench to peruse the compliance report immediately thereafter. Till newly elected peoples' representatives resume work, the affairs of the Municipalities and Municipal Corporations shall be managed in the manner provided in the body of the present judgment by the Executive officers and Municipal Commissioners.

In case no notification is issued, the State Election Commission shall send a report to His Excellency the Governor of the State of U.P. who may proceed to uphold the Constitution in accordance with law. The State Election Commission shall also move appropriate application before the court in terms of the judgment of Kishansing Tomar (supra) in case no notification is issued or action taken in the manner observed in the body of judgment.

(3) A further writ, order or direction in the nature of mandamus is issued directing the Chief Secretary, Government of U.P as well as the Principal Secretary, Nagar Vikas Anubhag and all the District Magistrates of the State of U.P and other authorities to make necessary preparation in effective consultation with the State Election Commission to hold election on issuance of appropriate notification and enable the State Election Commission to hold the election. All the executive officers and Municipal Commissioners working in the State of U.P henceforth shall not be transferred except with the permission of the State Election Commission.

3. मा0उच्च न्यायालय एवं मा0उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में शासकीय पत्र सं0 4580/9.1.11–119रिट/2011, दिनांक 17.12.2011 द्वारा निम्नांकित निर्देश निर्गत किये गये है :

1. निकायों के कार्यावधि की गणना उनके गठन के पश्चात् शपथ ग्रहण की तिथि के उपरांत आहूत प्रथम बैठक की तिथि से की जायेगी।
2. निकायों की कार्यावधि के उपरांत, जिलाधिकारी द्वारा नगर आयुक्त नगर निगम (नगर निगम, अलीगढ़ को छोड़कर) तथा अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद/नगर पंचायत को निकायों के कार्य संचालन का दायित्व सौंप दिया जाये।
3. निकाय की कार्यकारिणी समिति बहुमत के द्वारा नगर आयुक्तों/अधिशासी अधिकारियों को परामर्श दे सकेगी एवं यह समिति नागरिकों के लिए दी जाने वाली नागरिक सुविधाओं का पर्यवेक्षण भी करेगी। ऐसा करने में कार्यकारिणी समिति के सदस्यों को कोई पारिश्रमिक/मानदेय/भत्ता देय नहीं होगा। नगरपालिका परिषदों/नगर पंचायतों के संबध में कार्यकारिणी समिति का आशय निकाय के बोर्ड से होगा।
4. नगर निगम अलीगढ़ के महापौर अपने उत्तराधिकारी के निर्वाचित होने तक महापौर पद पर बने रहेंगे।

4. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नगर पालिका परिषदों/नगर पंचायतों में खातों का संचालन अध्यक्ष और अधिशासी अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से होता है। वर्तमान मे अध्यक्ष के न रहने पर खातों के संचालन में कठिनाई को दृष्टिगत रखते हुए नगर पालिका परिषदों/नगर पंचायतों में खातों का संचालन अधिशासी अधिकारी के अतिरिक्त वहॉ के लेखा विभाग में कार्यरत उ0प्र0 पालिका केन्द्रीयित सेवा के लेखा संवर्ग के वरिष्ठतम अधिकारी (यथा लेखाकार) को संयुक्त हस्ताक्षर हेतु अधिकृत कर दिया जाय। जहा केन्द्रीयित सेवा का कर्मचारी/अधिकारी तैनात न हो तो वहॉ लेखा का कार्य देख रहे कार्मिक को इस प्रयोजन हेतु निम्नांकित शर्तो के अधीन अधिकृत कर दिया जाय :

(1)– उक्त कार्मिक अधिशासी अधिकारी द्वारा विधिवत् नामित किया गया हो।
(2)– यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि संयुक्त हस्ताक्षर की उक्त व्यवस्था के तहत धनराशि का नकद(cash) आहरण यथा सम्भव न किया जाय तथा चेकों का आहरण सुसंगत नियमों/आदेशों के अन्तर्गत समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति होने के पश्चात् ही नियमानुसार किया जाय।

5. मुझे यह भी कहना है कि उक्त निर्देश तात्कालिक प्रभाव से लागू होंगे और प्रश्नगत रिट याचिकाओं एवं विशेष अनुज्ञा याचिकाओं में पारित निर्णय के अधीन होंगे।

6. कृपया उपरोक्त आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय,

(दुर्गा शंकर मिश्र)
प्रमुख सचिव।

सं0 4587(1)/9.1.2011, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. **समस्त मण्डलायुक्त**, उत्तर प्रदेश।
2. **निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0 लखनऊ।**
3. समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, उत्तर प्रदेश।
5. **बेब मास्टर** ,नगर विकास विभाग को इस आशय से प्रेषित कि उक्त पत्र को विभागीय साइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
6. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

30.12.11

(विपिन कुमार द्विवेदी)
विशेष सचिव।

manish GO